नंबर उपखण्ड कठूमर जिला अलवर

अधिवक्ता 2/284/2022 तारीख रजू

महेश बनाम जगमोहन वगैरा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
06.10.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं 1193 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, एवं तलवी नही भरने पर अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 27.10.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 27.10.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
27.10.22	वकील प्रार्थी उपस्थित। सावक आदेश दिनांक 6.10.22 की पालना में पत्र। श्री वास्ते तलबी प्रतिउत्तर दिनांक 22.12.22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

20/3/23	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य स्थगित कर रखा है। P.O. साहब अवकाश पर हैं। पत्रावली दिनांक 8/5/23 को पेश।	
8/5/23	अनुपालन ... P.O. साहब ... पत्रावली दिनांक ... को पेश हो।	
6/9/23	पत्रावली आज वकील अर्जी के प्रार्थना-पत्र पर तलब होकर पेश। श्री वकील अर्जी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर अपने प्रा० पत्र व दावा को इसी स्टेज पर खारिज कराने का निवेदन किया। प्रा० पत्र पत्रावली पर शामिल किया गया। आदेशिका पर अर्जी के हस्ताक्षर कराये गये उनके वकील के द्वारा अर्जी पहचान करी। अतः अर्जी का प्रस्तुत प्रा० पत्र व दावा प्रार्थना-पत्र के आधार पर इसी स्टेज खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद ... दाखिल रिकार्ड हो। उपखण्ड अधिकारी ... (अलवर) राज.	मैं अपना दावा (वाद) नहीं चलाना चाहता हूँ